

आदेश की क्रम संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणीतारीख सहित।
---------------------	--------------------------------	---

08/01/2021

अभिलेख उपस्थापित किया गया। पूर्व निर्गत नोटिस के आलोक में किसी प्रकार का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। पुनः नोटिस निर्गत करते हुए अभिलेख दिनांक ..... 22/01/2021 ..... को रखें।

लेखापित  
  
 अंचल अधिकारी,  
 कुरडेग।

अंचल अधिकारी,  
 कुरडेग।

22/01/2021

अभिलेख उपस्थापित किया गया। पूर्व में निर्गत नोटिस के आलोक में श्री..... हाकीम उरांव ..... पिता निरमल उरांव ..... ग्राम लिटमाल ..... के द्वारा संबंधित भूमि के संबंध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः हल्का राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित भूमि वाद संख्या..... 291/16-17 ..... का जमाबंदी को अवैध मानते हुए रद्द किया जाता है।

लेखापित  
  
 अंचल अधिकारी,  
 कुरडेग।

अंचल अधिकारी,  
 कुरडेग।